JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.
Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office : New Power House, Jodhpur- 342003
Phone No : 0291-2748970 E-mail : secyadmn.jdvvnl@rajasthan.gov.in
Web site : www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl

No. JdVVNL/MD/Secy(Admn.)/Ju/S.Estt /F. /OO. 802 /D.1534 Dt. 28/03/2022

ORDER

Sub :- Regarding reservation to person with disabilities in direct recruitment and promotion.

In exercise of the powers conferred, vide order no. JdVVNL/MD/ Secy.(Admn.)/ JuS. Estt./F. /OO. 372 /D. 1521 Dated 18.01.2012 the Managing Director, JdVVNL is pleased to adopt the State Government's order no. F. 14(36)DOP/Ka-2/2007 Part-I Dated 01.12.2021 (copy enclosed) regarding reservation to person with disabilities in direct recruitment and promotion.

By Order

(Mukesh Choudhary)RAS
Secretary (Admn.)
Jodhpur Discom, Jodhpur

Copy to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Engineer( ), JdVVNL,
2. The Addl .Chief Engineer ( ), JdVVNL,
3. The Zonal Chief Engineer ( ), JdVVNL,
4. The Chief Controller of Accounts, JdVVNL, Jodhpur.
5. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur.
6. The Company Secretary, JdVVNL, Jodhpur.
7. The Chief Accounts Officer ( ), JdVVNL,
8. The TA to Managing Director, JdVVNL, Jodhpur/Jaipur.
9. The Superintending Engineer ( ), JdVVNL,
10. The Joint Director Personnel, JdVVNL, Jodhpur.
11. The Dy. Director Personnel ( ), JdVVNL,
12. The Sr. Accounts Officer ( ), JdVVNL,
13. The TA/PA to Director (Technical/Finance), JdVVNL, Jodhpur.
14. The Personnel Officer ( ), JdVVNL,
15. The Accounts Officer ( ), JdVVNL,
16. Office Order/Master File.

Secretary (Admn.)
Jodhpur Discom, Jodhpur

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 14(36)कार्मिक/क–2/2007 पार्ट–I जयपुर, दिनांकः ~~DEC 2021~~

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजन को आरक्षण देने के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक **29.8.2019** के द्वारा दिव्यांगजनों (विशेष योग्यजनों) (Persons with Disabilities) को सीधी भर्तीयों में आरक्षण देने के लिए रोस्टर बिन्दु निर्धारित करनें एवं रोस्टर पंजिका संधारित करनें के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधिसूचना क्रमांक प. (10)एस ए पी/एक्ट/15374 दिनांक 14 अक्टूबर 2021, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.10.21 को हुआ है, द्वारा दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर दिव्यांगजनों को पदोन्नति में भी आरक्षण देय है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में यह नवीन निर्देश जारी किय जा रहे है।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित दिव्यांगजन की प्रत्येक श्रेणी को एक–एक प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार देय हैः–

(अ) दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि।
(ब) श्रवण बाधित।
(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मॉसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन–निःशक्तता
(द) (1) ऑटिज्म, बौद्विक निःशक्तता, लर्निग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता।
(2) बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रुप–अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का ह्रास एवं दृष्टि बाधित सहित।

रिक्तियों का उक्त आरक्षण क्षैतिज माना जायेगा और बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिए रिक्तियां एक अलग वर्ग के रूप में संधारित की जावेगी।

2. **दिव्यांगजन प्रमाण–पत्रः–** दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण – पत्र आवश्यक होगा। सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति होगा।

56/2021

3. **आरक्षण हेतु पदों का चिन्हीकरण एवं आरक्षण में छूटः**—सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.1.2021 द्वारा निःशक्तता की विभिन्न श्रेणियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का चिन्हीकरण किया गया है। राज्य सरकार में पदों की भर्ती के समय दिव्यांगजन हेतु पद आरक्षित करने के लिए उक्त अधिसूचना एवं समय-समय पर अद्यतन अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जायेगा तथा इनमें वर्णित पदों की भर्ती में दिव्यांगजन हेतु पद आरक्षित किये जायेगे। सामान्यतया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हित् पदों को दिव्यांगजन आरक्षण से मुक्त नही किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी पद का पदनाम भारत सरकार के पदनाम से भिन्न हो या कोई पद भारत सरकार के किसी विभाग में अस्तित्व में नहीं हो तो राज्य में किसी समकक्ष श्रेणी के पद को चिन्हित करने के लिए प्रकरण राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के अन्तर्गत गठित समिति को संदर्भित किया जायेगा। उक्त समिति किसी पद विशेष की कार्य की प्रकृति और पद के दायित्व के आधार पर समकक्ष पद चिन्हित करेगी।

यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से किसी कार्य अथवा कतिपय पद से संबंधित कार्यों को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा इसका पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। निदेशक, विशेष योग्यजन द्वारा प्रकरण में छूट पर विचार किये जाने हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के तहत् गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार कर पद विशेष के लिए सीधी भर्ती में दिव्यांगजन की किसी विशेष श्रेणी अथवा सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण से छूट प्रदान करेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई पद विशेष योग्यजन की किसी एक ही श्रेणी के लिए उपयुक्त होना चिन्हित किया गया है तो उस स्थिति में विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित सभी 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन की उसी श्रेणी से भरे जायेगे।

4. **रिक्तियों का अग्रेषण एवं अन्तः श्रेणी परिवर्तन :**—जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। अन्तर परिवर्तन करने के पश्चात् भी यदि किसी रिक्ति हेतु कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

5. **अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनः**— जहां कोई पद दिव्यांगजन की सभी श्रेणिया या एक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो तो उस पद की भर्ती में दिव्यांगजन के लिए रिक्ति आरक्षित नही होने पर भी बिना आरक्षण का लाभ लिए स्वयं की योग्यता पर चयनित होने की पात्रता रखने पर विशेष योग्य जन को उस पद के लिए प्रतियोगिता और चयन से वंचित

56/2021

नही किया जा सकता है। मापदण्ड़ों में शिथिलन के बिना स्वयं की योग्यता से चयनित ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को रोस्टर में अनारक्षित बिन्दुओं के विरूद्ध दर्शाया जायेगा तथा भविष्य में भर्ती के समय विशेष योग्यजन के लिए उपलब्ध होने वाली आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा।

6. **दिव्यांगजन को सीधी भर्ती में निम्न रियायतें देय होगी: –**

(1) आयु सीमा– सीधी भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष का शिथिलन देय होगा। आयु सीमा में यह शिथिलन नियमों में विभिन्न श्रेणियों में लंबवत व क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को देय शिथिलन के अतिरिक्त होगा।

(2) सेवा नियमों में जहॉं कही भी किसी भी पेपर के लिए न्यूनतम अर्हता/ उत्तीर्णांक निर्धारित है, दिव्यांगजन को उसमें 5 % की रियायत होगी।

7. **आरक्षण की गणना की पद्धति:**–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रयोजन हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण संदर्भित दिव्यांगजनों को देय होगा। दिव्यांगजन को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति में जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित 4 प्रतिशत आरक्षण की गणना किसी सेवा संवर्ग में कुल पदों की संख्या को आधार पर मानते हुए की जायेगी।

उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत चिन्हित निःशक्तजन के लिए किया गया आरक्षण एक क्षैतिज आरक्षण होगा और संदर्भित निःशक्तजन के लिए निर्धारित पद विशिष्ट प्रवर्ग के रूप में संचालित होगा।

8. **पदोन्नति में आरक्षण:**– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021, जिसका राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.10.2021 को प्रकाशन हुआ है। अतः यह अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 को प्रभावी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2021–22 में किन्ही पदों की विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित नहीं होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है, तो अब उक्त अधिसूचना के प्रावधान के अन्तर्गत बैंचमार्क दिव्यांगजन को पदोन्नति में उक्तानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा परन्तु जिन विभागों द्वारा दिनांक 21.10.2021 से पूर्व दिव्यांगजन को पदोन्नति में बिना आरक्षण देते हुए विभागीय पदोन्नति समितियॉं आयोजित की जा चुकी है, इन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा अर्थात ऐसी डी.पी.सी को रिव्यू नहीं किया जायेगा।

9. **रोस्टर का संधारण** :–दिव्यांगजन के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग–अलग रोस्टर संधारित किया जायेगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.8.2019 के निर्देशानुसार रोस्टर रजिस्टर सीधी भर्ती की भांति ही पदोन्नति में भी 100 अंकों का चक होगा। प्रत्येक चक 4 ब्लॉक में विभाजित किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल है:–

प्रथम ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं. 01 से 25
द्वितीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं. 26 से 50
तृतीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं. 51 से 75

Gwh

56/2021

चतुर्थ ब्लॉक : रोस्टर रजिस्टर के क.सं. 76 से 100

रोस्टर रजिस्टर के क्रम सं. 1, 26, 51 एवं 76 वाले पद सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों में दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आधार पर आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन हेतु संलग्न प्रपत्र 'अ' में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिका का संधारण किया जायेगा।

10. **निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सम्पर्क अधिकारी :–**प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन आरक्षण की अनुपालना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा विभाग के सभी सेवा संवर्गो में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाई जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा दिव्यांगजन हेतु रोस्टर पंजिका भी संधारित करवाई जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आरक्षण रोस्टर पंजिका का संधारण सही तरीके से किया जा रहा है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

सभी विभागों द्वारा दिव्यांगजन हेतु 4 प्रतिशत आरक्षण हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

राज्यपाल की आज्ञा से

30/XI/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. समस्त अध्यक्ष/सचिव, आयोग निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकारण।
8. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

56/2021

प्रपत्र- 'अ'

विशेष योग्यजन हेतु रोस्टर पंजिका

(विभिन्न श्रेणियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण)

ब्लॉक	आरक्षित रोस्टर बिन्दु	विशेष योग्यजन जनश्रेणी जिसके लिए आरक्षित है	भर्ती वर्ष	चयनित व्यक्ति का नाम	अग्रेषित आरक्षण (यदि कोई है)	टिप्पणी
1-25	01					
26-50	26					
51-75	51					
76-100	76					

नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Engineering Cadre	
Electrical	
1	Chief Engineer(E&M)
2	Addl. Chief Engineer(E&M)
3	Superintending Engineer(E&M)
4	Executive Engineer(E&M)
5	Assistant Engineer(E&M)
6	Junior Engineer(E&M)
Civil	
1	Superintending Engineer(Civil)
2	Executive Engineer(Civil)
3	Assistant Engineer(Civil)
4	Junior Engineer(Civil)
IT	
1	Executive Engineer(IT)
2	Assistant Engineer(IT)
3	Informatics Assistant
Accounts Cadre	
1	CCOA
2	Chief Accounts Officer
3	Sr. Accounts Officer
4	Accounts Officer
5	Assistant Accounts Officer Grade-I
6	Assistant Accounts Officer Grade-II
7	Junior Accountant
Personnel Cadre	
1	Joint Director Personnel
2	Dy. Director Personnel
3	Personnel Officer
4	Assistant Personnel Officer
Administative Cadre	
1	Dy.Secretary
2	AS/PS/EO
3	Administrative Officer (AO)
4	Additional Administrative Officer(OS-I)
5	Assistant Administrative Officer(OS-II)
6	Commercial Assistant-I (UDC)
7	Commercial Assistant-II (LDC)
8	Additional Pvt. Secretary(APS)
9	Personal Assistant
10	Stenographer

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office : New Power House, Jodhpur- 342003
Phone No : 0291-2748970 E-mail : secyadmn.jdvvnl@rajasthan.gov.in
Web site : http://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl

No.JdVVNL/MD/Ju/S:Secy.(Admn.)/F:Estt./D: 1179

Jodhpur, Dated: 21/12/2021

The CE/ACE/ACE( ),
The Chief Controller Of Accounts,
The Company Secretary,
The TA to Managing Director,
The Superintending Engineer( ),
The Addl. Superintendent Of Police( ),
The JDP/DDP/PO( )
The CAO/Sr. AO/AO( ),
The Dy. Secretary/Asstt. Secretary( ),
The Public Relations Officer,
The TA/PA Director(Tech./Finance),
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited,
Jodhpur/ Jaipur/ Pali/ Sirohi/ Jalore/ Barmer/
Jaisalmer/ Bikaner/ Churu/ Hanumangarh/ Sriganganagar.

Sub.:Submission of certificate of Specially Abled Person in respect of Officers/ Officials working under your jurisdiction.

*****

With reference to above cited subject, it is to intimate that vide Circular dated 01.12.2021 issued by Department of Personnel, Government of Rajasthan (Copy Enclosed), 4% reservation has been allowed to Specially Abled Persons in Director Recruitment and Promotion. Therefore, you are requested to provide the information regarding Specially Abled Persons in respect of enclose list of cadres working under your jurisdiction in following format, within 7 days positively:-

S. NO.	NAME	DESIG-NATION	DoB	PLACE OF POSTING	TYPE OF DISABILITY WITH PERCENTAGE

*Please enclosed self attested photocopy of certificate duly counter signed by Controlling Officer as mentioned in circular dated 01.12.2021 regarding disability.

This may be treated as **MOST URGENT**.

Encl.: As above.

(MUKESH CHOUDHARY)
R.A.S.
SECRETARY (ADMN.)
JODHPUR DISCOM, JODHPUR

P.R.C./***

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.
Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office : New Power House, Jodhpur- 342003
Phone No : 0291-2748970 : Fax No : 0291-5106121
E-mail : secyadmn.jdvvnl@rajasthan.gov.in Web site : www.jdvvnl.com

ADMN. 253

No. JdVVNL/MD/Secy.(Admn.)/Ju/S.Estt./F. /OO.445/D. 902 dated 22/10/19

ORDER

Sub:- To consider the proposal to adopt revised model "ROSTERS" prescribed by the Department of Personnel, GoR.

Pursuant to the decision of the Co-ordination Committee in its 21st Meeting held on 27th September, 2019, the revised model "ROSTERS" prescribed by the Department of Personnel, GoR is hereby adopted in Jodhpur Discom :-

1. As per Circular No. D. 7(2) Karmik/ Ka-2/ 2019 dated 29.3.19 of the Department of Personnel, GoR, revised model "Roster" for Direct Recruitment in roster points for each vertical as well as horizontal reservation, except that of Persons with Disabilities have been notified for appointment by direct recruitment in supersession to the previous model roster is hereby made in Jodhpur Discom.
2. For persons with Benchmark Disabilities as per guidelines of the circular F.7(2)Karmik/ Ka-2/ 2019 dated 29.8.19.

This is subject to ratification by the Board of Directors.

Encl As Above

By order

(Mukesh Choudhary) RAS
Secretary (Admn.)
Jodhpur Discom, Jodhpur.

Copy to the following for information and necessary action:
1. The Chief Engineer ( ), JdVVNL,
2. The Addl./Zonal Chief Engineer ( ), JdVVNL,
3. The Chief Controller of Accounts, JdVVNL, Jodhpur.
4. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur.
5. The Company Secretary, JdVVNL, Jodhpur.
6. The Chief Accounts Officer ( ), JdVVNL,
7. The Superintending Engineer ( ), JdVVNL,
8. The T.A. to Managing Director, JdVVNL, Jodhpur\Jaipur.
9. The Joint Director Personnel, JdVVNL, Jodhpur.
10. The Dy. Director Personnel ( ), JdVVNL,
11. The Sr. Accounts Officer ( ), JdVVNL,
12. The T.A./P.A. to Director (Technical/Finance), JdVVNL, Jodhpur.

Secretary (Admn.)
Jodhpur Discom, Jodhpur.

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क-2/2019 जयपुर, दिनांकः 29.8.2019

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–विशेष योग्यजनों के आरक्षण के लिए रोस्टर बिन्दु निर्धारित करनें एवं रोस्टर पंजिका संधारित करनें के संबंध में।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 101 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018, दिनांक 23.1.19 को जारी किये गये है, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 24 जनवरी, 2019 को किया जा चुका है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 5 में विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जानें एवं रोस्टर संधारित किये जानें का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम के नियम 5(3) के अनुसार रोस्टर नियमानुसार संधारित किया जाना है। उक्त नियम के क्रम में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. प्रत्येक संवर्ग में सभी सीधी भर्तियों में 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित रखे जायेंगे।
2. विशेष योग्यजनों की सीधी भर्ती हेतु सभी सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थान/प्राधिकरण आदि द्वारा विशेष योग्यजनों हेतु एक अलग से 100 अंकों की रिक्ति के आधार पर रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।
3. रोस्टर रजिस्टर 100 अंकों का चक्र होगा प्रत्येक चक्र 4 ब्लॉक में विभाजित किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैः–

प्रथम ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं 01 से 25
द्वितीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं 26 से 50
तृतीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क.सं 51 से 75
चतुर्थ ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क सं 76 से 100

4. रोस्टर रजिस्टर के क. सं 1, 26, 51 एवं 76 वाले पद विशेष योग्यजनों हेतु क्षैतिज आधार पर आरक्षित किये जायेंगे। संस्थापन प्रमुख चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय रोस्टर रजिस्टर में इंद्राज कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त रिक्तियां की रोस्टर रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी। यदि बिन्दु संख्या 1 पर आने वाला पद विशेष योग्यजन व्यक्ति के लिए चिन्हित नहीं है या संस्थापन प्रमुख उस पद को विशेष योग्यजन व्यक्ति द्वारा भरा जाना वांछनीय नहीं समझता है या किसी अन्य कारण से उस पद को विशेष योग्यजन द्वारा भरा जाना संभव नहीं है तो बिन्दु संख्या 2 से लेकर 25 तक के किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्तियों में से एक रिक्ति को विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित समझा जायेगा और उसे इस रूप में भरा जायेगा। इसी प्रकार 26 से 50 तक या 51 से 75 या 76 से 100 तक के किसी भी बिन्दु पर आने वाली कोई रिक्ति विशेष योग्यजन द्वारा भरी जायेगी। रोस्टर के 1, 26, 51 और 76 बिन्दुओं को आरक्षित रखने का प्रयोजन प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति को विशेष योग्यजन व्यक्ति द्वारा भरा जाना है।
6. यह संभावना है कि 1 से 25 तक की रिक्तियों में से कोई भी रिक्ति विशेष योग्यजन के किसी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त नहीं हो ऐसी स्थिति में 26 से 50 तक की दो रिक्तियां उस विशेष योग्यजन व्यक्तियों से भरी जायेगी। यदि 26 से 50 तक की रिक्तियां भी किसी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त न हो तो 3 रिक्तियां 51 से 75 तक के बिन्दु अन्तर्विष्ट करने वाले तृतीय ब्लॉक से आरक्षित आरक्षित के रूप में भरी जायेगी। इसका यह तात्पर्य है कि यदि किसी विशिष्ट ब्लॉक में कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती है तो उसे अगले ब्लॉक में अग्रेषित किया जायेगा।
7. रोस्टर के समस्त 100 बिन्दुओं को समाविष्ट करनें के पश्चात 100 बिन्दुओं का नया चक्र प्रारम्भ होगा।

283

ADMN. 128

JODHPUR VIDHYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No.JdVVNL/MD/Secy.(Admn.)/Ju/S.Estt./F. /OO. 372 /D. 1521 Dated 18.01.2012

ORDER

Sub:- To allow the Power Sector Companies to adopt the orders/ modifications/ amendments of the Government of Rajasthan issued from time to time, provided that they are adopted as they are, without any modification/ change.

◇◇◇◇

In supersession of earlier order bearing No. 172 dated 05.11.2001 and as approved by the Board of Directors in the 183rd Meeting held on 12.12.2011, the CMD/ MD, JdVVNL is hereby authorized to adopt, amend, modify etc. the rules & regulations in the Nigam provided that such adoption, amendment, modification is at par with the Govt. rules & regulations.

However, the amendment, modifications etc. which are in deviation from the prescribed Govt. norms/ rules and regulations shall be adopted with the approval of the Board of Directors.

Further, matters of adoption of Government orders at par be also continued to be brought before the coordination committee for its information and uniform application across the power sector companies, however, there would no need to obtain any further approval / ratification from the Board of Director in such cases.

By order

Secretary (Admn.)
JdVVNL, Jodhpur.

Copy to the following for information and necessary action:

1. The Chief Engineer ( ), JdVVNL,
2. The Dy.\Zonal Chief Engineer ( ), JdVVNL,
3. The Chief Accounts Officer ( ), JdVVNL,
4. The Company Secretary, JdVVNL, Jodhpur.
5. The Superintending Engineer ( ), JdVVNL,
6. The T.A. to Managing Director, JdVVNL, Jodhpur\ Jaipur.
7. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur.
8. The Dy. Director Personnel (HQ\ JZ\ BZ), JdVVNL, Jodhpur\ Bikaner.
9. The Sr. Accounts Officer ( ), JdVVNL,
10. The T.A.\P.A. to Director (Finance\Technical), JdVVNL, Jodhpur.
11. The Executive Engineer ( ), JdVVNL,
12. The Personnel Officer ( ), JdVVNL,
13. The Accounts Officer ( ), JdVVNL,
14. The Assistant Engineer ( ), JdVVNL,
15. The Public Relations Officer ( ), JdVVNL,

Personnel Officer (Estt.)

234

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CERTIFIED EXTRACT OF MINUTES OF 183rd MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMTED HELD ON MONDAY, THE 12TH DECEMBER, 2011 IN THE BOARD ROOM, VIDYUT BHAVAN, JAIPUR.

Sub.:-To allow the Power Sector Companies to adopt the orders/modifications/amendments of the Government of Rajasthan issued from time to time, provided that they are adopted as they are, without any modification/change.

This was informed to the Board that the Co-ordination committee in its 150th Meeting held on 15th September, 2011 noted that the Board of Directors of the respective power sector companies have already authorized their CMD's/MD's to adopt, modify etc., the rules and regulations at par to the State Government, however, the orders issued by the Ajmer Discom and Jodhpur Discom in this regard slightly varied in scope of application as compared to the orders issued by RVPN/RVUN and Jaipur Discom. The Co-ordination committee advised the Ajmer/Jodhpur Discom that they may also obtain authorization of its Board of Directors at par with other companies.

The co-ordination committee further directed that matters of adoption of Government Orders at par be also continued to be brought before the Co-ordination Committee for its information and uniform application across the Power Sector Companies, however, there would be no need to obtain any further approval/ratification from the Board of Directors in such cases.

Therefore, Accordingly, in super session of resolution passed in the 13th Board Meeting held on 20/10/2001 , it was proposed that afresh authorization be made to adopt the orders/modifications/amendments of the Government of Rajasthan issued from time to time, provided that they are adopted as they are, without any modification/change at par with that of Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited.

The Board noted the same and thereupon passed the following resolution.

"**In super session of Resolution** passed in the 13th Board Meeting held on 20/10/2001, the approval of the Board of Directors be and is hereby accorded to authorize the CMD/MD, JdVVNL to adopt, amend, modify etc. the rules and regulations in the Nigam provided that, such adoption, amendment, modification is at par with the Government rules and regulations.'

'**RESOLVED FURTHER THAT** the amendment, modifications etc. which are in deviation from the prescribed Govt. norms/rules and regulations shall be adopted with the approval of the Board of Directors."

CERTIFIED TO BE TRUE COPY

(R.K.Singh)
Company Secretary

Secy (Adm)
JdVVNL, Jodhpur

..351
R. 23/12/11